भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1332

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास

1332. **श्री बिप्लब कुमार देब :**

श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में कामकाजी महिलाओं के लिए कितने छात्रावास मौजूद हैं;

(ख) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में और अधिक छात्रावासों का निर्माण करने की योजना बना रही है/बनाने का विचार है और यदि हां, तो त्रिपुरा सहित देश के विभिन्न भागों में किन-किन जिलों में ये छात्रावास खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) की स्थापना के लिए कोई धनराशि प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने 28 राज्यों में नए डब्ल्यूडब्ल्यूएच के निर्माण के लिए 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने देश में डब्ल्यूडब्ल्यूएच की कुल आवश्यकता के बारे में राज्य-वार कोई अध्ययन/विश्लेषण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या केन्द्र सरकार के वित्तपोषण से सार्वजनिक/निजी कंपनियों/संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को भी कामकाजी महिला छात्रावासों को चलाने के लिए अनुमोदन/अनुमति दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (च): सखी निवास योजना [कामकाजी महिला छात्रावास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच)], व्यापक मिशन शक्ति के अंतर्गत मांग-आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपनी आवश्यकता का आकलन करते हैं और उनके प्रस्तावों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के

साथ चर्चा के बाद कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, कामकाजी महिलाओं और उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है साथ ही बच्चों के लिए डे केयर की सुविधा भी प्रदान करना है। इस योजना में किराये के आवास के लिए निधि प्रदान की जाती है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सखी निवास स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

वर्तमान में, त्रिपुरा सहित देशभर में 560 सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) कार्यरत हैं। देशभर में कार्यशील सखी निवासों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान सखी निवास योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 09.08.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 44(1)/पीएफ-एस/2024-25 (कैपेक्स) के माध्यम से **राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना** के भाग (X) (कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण) के अंतर्गत **28 राज्यों** को कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए **5,000 करोड़ रुपये** आवंटित किए हैं। व्यय विभाग (डीओई) ने एसएएससीआई योजना के तहत, 28 राज्यों में 52991 बिस्तरों की कुल क्षमता वाले 254 कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण को 4,826.31 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत पर अनुमोदित किया है और इसमें से 3,148.28 करोड़ रुपये की पहली किस्त राज्यों को 2024-25 के दौरान जारी की जा चुकी है। संबंधित ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

श्री बिप्लब कुमार देब और श्री डी. एम. कथीर आनंद, माननीय सांसद (लोकसभा) द्वारा दिनांक 06.02.2026 को पूछे गए 'कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास'से संबंधित लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1332 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 31.12.2025 तक कार्यशील सखी निवासों (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील छात्रावासों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	03
2.	आंध्र प्रदेश	23
3.	अरुणाचल प्रदेश	03
4.	असम	10
5.	चंडीगढ़	06
6.	छत्तीसगढ़	06
7.	दिल्ली	14
8.	गुजरात	13
9.	हरियाणा	07
10.	हिमाचल प्रदेश	06
11.	जम्मू एवं कश्मीर	02
12.	झारखंड	02
13.	कर्नाटक	62
14.	केरल	124
15.	लक्षद्वीप	01
16.	मध्य प्रदेश	03
17.	महाराष्ट्र	88
18.	मणिपुर	54
19.	मेघालय	03
20.	मिजोरम	08
21.	नागालैंड	15
22.	ओडिशा	11
23.	पुदुच्चेरी	02
24.	राजस्थान	15
25.	सिक्किम	01

26.	तमिलनाडु	60
27.	तेलंगाना	09
28.	त्रिपुरा	01
29.	उत्तर प्रदेश	08
	कुल	**560**

* राज्यों/राज्य संघ क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार।

अनुलग्नक -II

श्री बिप्लब कुमार देब और श्री डी. एम. कथीर आनंद, माननीय सांसद (लोकसभा) द्वारा दिनांक 06.02.2026 को पूछे गए 'कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास'से संबंधित लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1332 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

15वें वित्त आयोग अवधि के दौरान जारी की गई निधि का विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
आंध्र प्रदेश	30.52
बिहार	90.00
अरुणाचल प्रदेश	147.02
असम	156.23
छत्तीसगढ	48.87
दिल्ली	14.54
गुजरात	116.16
हिमाचल प्रदेश	33.46
जम्मू एवं कश्मीर	42.04
केरल	883.09
मध्य प्रदेश	191.26
महाराष्ट्र	89.50
मेघालय	24.98
मिजोरम	90.55
मणिपुर	1089.97
नागालैंड	299.11
ओडिशा	56.06
पुदुच्चेरी	0.26
सिक्किम	13.43
तमिलनाडु	1075.00
त्रिपुरा	0.25
उत्तर प्रदेश	40.70

अनुलग्नक -III

श्री बिप्लब कुमार देब और श्री डी. एम. कथीर आनंद, माननीय सांसद (लोकसभा) द्वारा दिनांक 06.02.2026 को पूछे गए 'कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास'से संबंधित लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1332 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के अंतर्गत कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य-वार निधि आवंटन का विवरण।

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवंटन (करोड़ में)	स्वीकृत निधि (करोड़ में)	वित्त मंत्रालय द्वारा पहली किस्त के रूप में जारी की गई निधि (करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	172.00	172.00	113.52
2	अरुणाचल प्रदेश	188.00	187.98	90.00
3	असम	226.00	226.00	149.16
4	बिहार	223.00	223.00	147.18
5	छत्तीसगढ	202.00	202.00	133.32
6	गोवा	100.00	100.00	66.00
7	गुजरात	202.00	190.48	125.70
8	हरियाणा	155.00	65.30	43.10
9	हिमाचल प्रदेश	132.00	132.00	87.12
10	झारखंड	163.00	163.00	107.58
11	कर्नाटक	193.00	193.00	127.38
12	केरल	120.00	120.00	79.20
13	मध्य प्रदेश	284.00	284.00	187.44
14	महाराष्ट्र	215.00	215.00	141.90
15	मणिपुर	149.00	149.00	98.34
16	मेघालय	132.00	132.00	87.12
17	मिजोरम	127.00	127.00	83.82
18	नागालैंड	145.00	145.00	95.70
19	ओडिशा	189.00	189.00	124.74
20	पंजाब	159.00	136.56	90.13
21	राजस्थान	202.00	165.32	109.11
22	सिक्किम	106.00	106.00	69.96

23	तमिलनाडु	223.00	223.00	147.18
24	तेलंगाना	202.00	202.00	133.32
25	त्रिपुरा	114.00	114.00	75.24
26	उत्तर प्रदेश	382.00	381.56	251.83
27	उत्तराखंड	136.00	136.00	86.76
28	पश्चिम बंगाल	159.00	146.11	96.43
	कुल	**5000**	**4826.31**	**3148.28**
